## कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

| | |
|---|---|
| उपस्थित | **श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।** |
| प्रार्थी | **सर्वश्री टी एण्ड एल गैसेस प्रा0 लि0, 102, गार्डेन व्यू अपार्टमेन्ट्स, 8, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ ।** |
| प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक | **060 / 12, 19.10.2012** |
| प्रार्थी की ओर से | **कोई उपस्थित नहीं हुआ ।** |

## उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री टी एण्ड एल गैसेस प्रा0 लि0, 102, गार्डेन व्यू अपार्टमेन्ट्स, 8, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ द्वारा दिनांक 19.10.2012 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा ' रबर से निर्मित Hose Pipe ' पर, कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 16.01.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि वे समझते हैं कि इस उत्पाद को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है तथा इसे '' Hose Pipes and Fittings Thereof under Commodity Code no. 2A059001 '' पर वर्गीकृत किया गया है । प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त वस्तु को वर्तमान वर्गीकरण के रूप में स्पष्ट करने तथा उस पर कर की दर से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-2790, दिनांक 03.01.2013 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि करदाता द्वारा बनायी जा रही वस्तु रबर की होज पाइप, घरेलू गैस को गैस सिलेण्डर से चूल्हे तक गैस पहुँचाने में उपयोग के लिए है । यदि इसे उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-II, पार्ट-ए के क्रमांक-59 पर अंकित '' होज पाइप एवं इसकी फिटिंग '' तथा क्रमांक-94 पर अंकित '' सभी पकार के पाइप जिसमें जी0 आई0 पाइप, सी0 आई0 पाइप, डक्टाइल पाइप एवं पी0 वी0 सी0 आदि तथा फिटिंग्स सम्मिलित है '' के अन्तर्गत माना जाये तो इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-II की वस्तुओं की भाँति करदेयता होगी अन्यथा इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-V की वस्तुओं की तरह करदेयता होगी ।

पत्रावली पर डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-1, लखनऊ के पत्र संख्या-577, दिनांक 17.01.2014 द्वारा प्रेषित आख्या भी उपलब्ध है जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में अब तक प्रत्येक माह के लिए दाखिल रूपपत्र-24 में अपने निर्मित उत्पाद को '' होज पाइप एवं इसकी फिटिंग '' अंकित करते हुए इस पर 4% + 1% की दर से करदेयता स्वीकार करते हुए कर जमा किया जा रहा है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रश्नकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की

.....2

धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपने प्रार्थना-पत्र में ही उनके द्वारा उत्पादित वस्तु रबर के Hose Pipe पर कर की दर स्वयं स्पष्ट की गयी है । इसके अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-1, लखनऊ की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नकर्ता फर्म द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष 2012-13 में अपनी उत्पादित वस्तु Hose Pipe पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-II, पार्ट-ए के क्रमांक-59 पर अंकित प्रविष्टि के अनुसार 4% + 1% की दर से करदेयता स्वीकार करते हुए रिटर्न दाखिल किया जा रहा है । मासिक रिटर्न दाखिल करने से वाद में कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही विचाराधीन (proceedings pending) हो जाती है जिसके कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्राविधानों के तहत प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766 ) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है । इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । अत: प्रार्थी द्वारा नक्शा व कर जमा करने पर कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण धारा-59 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि प्रार्थी द्वारा मासिक नक्शा व कर जमा किया जा रहा है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766 ) के आलोक में कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही विचाराधीन है । अत: धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 23 जनवरी, 2014

ह0 / 23.01.2014

**(मृत्युंजय कुमार नारायण)**
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।